न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/57/18	12–06–2018	26–06–2018

1- PUNJAB & SIND BANK, 6 Scindia House , Connaught Place, New Delhi-110001

प्रार्थी

VERSUS

1- M/S Cross Inade Link, C-153 2nd Floor Phase-II,Mayapuri Industrial Area ,New Delhi- 110064 Also at. 4306, Sector B-5 & 6 Vasant Kunj, New Delhi-110070, Also at. Property No.H-897 RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi Distt. Alwar Rajasthan, Sh. Ashok Kumar Sharma,4306 Sector B-5 & 6 Vasant Kunj, New Delhi-110070.

2- SH. Amil Kumar 4306 Sector B-5 & 6 Vasant Kunj, New Delhi-110070.

3- Smt. Sudakshina Sharma 4306 Sector B-5 & 6 Vasant Kunj, New Delhi-110070.

अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर **All the part and parcel of Industrial property No. H- 897 Bhiwadi Industrial Area Phase-III Rajasthan.** है को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नही किय

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

जिला कलक्टर अलवर

(9)

1–रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.–आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **26–06–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

नोट :→
आदेश दिनांक 10/06/19 के अनुसरण में
Inade के स्थान पर Trade पढ़ा जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** बनाम **मैं0क्रास ट्रेड लिंक**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र** नम्बर **15/57/18**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.19	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। बैंक के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बैक वकील ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रा0पत्र सं0 15/57/18 ब0मु0 पंजाब एण्ड सिंध बैंक बनाम मैं0क्रास ट्रेड लिंक में दिनांक 26.06.18 को निर्णय पारित किया गया है। परन्तु सहवन से निर्णय के शीर्षक में PUNJAB & SIND BANK, 6 Scindia House , Connaught Place, New Delhi-110001 VERSUS M/S Cross Inade Link, PUNJAB & SIND BANK, 6 Scindia House , Connaught Place, New Delhi-110001 में **Trade** के स्थान पर **Inade** अंकित कर दिया, जो लिपिकिय त्रुटी/सहवन की गलती प्रतीत होती है। कृपया **Inade** के स्थान पर **Trade** अंकित करने की कृपा करें। हमनें बैक वकील के कथन पर मनन किया, एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे जाने के आदेश पारित किये गये थे, परन्तु लिपिकिया त्रुटि/सहवन निर्णय में **Inade** अंकित हो गया जो एक सहवन की त्रुटि है। उक्त संशोधन से निर्णय के मूल स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 26–06–2018 में **Inade** के स्थान पर **Trade** संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय में सुर्खी से इस आशय का नोट अंकित कर निर्णय की प्रति कर तहसीलदार तिजारा जिला अलवर को भिजवाई जावें। प्रा0पत्र फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली में शामिल किया जाकर पत्रावली यथास्थान जमा रिकार्ड आज दिनांक 18.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया। (इन्द्रजीत सिंह) जिला कलक्टर, अलवर।	